

सङ्घक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2001

का.आ. 394(अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची के फ्रम संख्यांक 92 के सामने विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 101 का, उस अनुसूची से लोप करती है।

[फा. सं. एन एच-14012/5/2000-पी एल]

्र एस.सी. शर्मा, महानिदेशक (सङ्क विकास) और अपर सचिव

नोट :--- 'उपर्युक्त सरेखण के साथ यह राष्ट्रीय राजमार्ग दिमांक 12 अक्तूबर, 2000 की अधिसूचना सं. का.आ. 923 (अ) के तहत अनुसूची में शामिल किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2001

S.O. 394 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby omits the National Highway No. 101 specified against serial number 92 in the Schedule to the said Act from that Schedule.

[F. No. NH-14012/5/2000-PL

S.C. SHARMA, Director General (Road Development) and Addl. Secy

अधिसूचना

भई दिल्ली, 8 मई, 2001

का.आ. 395(अ). — केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे सारणी के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट राजमार्ग को एक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्ग जो अब एक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, उक्त सारणी के स्तंभ 1, 2 और 3 में उपदर्शित क्रमश: क्रम संख्यांक, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और वर्णन उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

सारणी		
क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्णत
(1)	(2)	(3)
"92	101	बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर छपरा के निकट से आरम्भ होने वाले और बनियापुर, भगवान पुर और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28 पर मुहम्मद पुर के निकट अपने जंकशन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग''

[फा. सं. एन एच~14012/5/2000~पी एल]

एस.सी. शर्मा, महानिदेशक (सङ्क विकास) और अपर सचिव

नोट:— राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची सरकारी राजपत्र में उक्त अधिनियम के साथ अधिसूचना सं. का. नि. आ. 1180 दिनांक 4 अप्रैल, 1957 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसे अंतिम बार अधिसूचना सं. का. आ. 923 (अ) दिनांक 12 अक्तूबर, 2000 के द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2001

S.O. 395 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares the highway specified in the column (3) of the Table below to be a National Highway.

The said highway, now declared to be a National Highway, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act, with the Serial No. National Highway No. and the description thereof indicated in columns 1, 2 and 3 respectively, of the said Table

Serial No	National Highway No.	Description of National Highways
1	2	3
"92	101	The highway starting from near Chhapra on National Highway No. 19 and connecting Baniapur, Bhagwanpur and terminating at its junction near Muhamadpur on National Highway No. 28 in the State of Bihar"

TABLE

[F No. NH-14012/5/2000-PL]

S.C. SHARMA, Director General (Road Development) and Addl. Secy.

Note: The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Official Gazette with the said Act vide Notification No. S.R.O. 1180 dated the 4th April, 1957 and was last amended vide Notification No. S.O.923(E) dated 12th October, 2000.